



कॉर्पोरेट कार्यालय
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा,
चेन्नै – 600 014
Corporate Office
254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah
Chennai - 600 014

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधन
(ओएवीएम) के माध्यम से
सोलहवी वार्षिक आम बैठक की नोटिस

**NOTICE OF 16th ANNUAL GENERAL MEETING
THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/
OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

बुधवार, 22 जून, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे

Wednesday, the 22nd June, 2022 at 11.00 a.m.

महत्वपूर्ण तिथियाँ

IMPORTANT DATES

16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि Date and Time of 16 th Annual General Meeting	बुधवार, 22 जून, 2022 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से Wednesday, the 22 nd June, 2022 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) and Other Audio Visual Means (AOVM)
स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने के लिए ई-मेल के माध्यम से अनुरोध भेजने की अंतिम तिथि Last date for sending e-mail request to get registered as a speaker	बुधवार, 15 जून, 2022 (कार्य समय की समाप्ति) Wednesday, 15 th June 2022 (close of Business Hours)
बैठक की कार्यसूची मदों पर मतदान करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट-ऑफ तिथि Cut-off Date for ascertaining eligibility of the Shareholders to vote on Agenda items of the meeting.	बुधवार, 15 जून, 2022 (कार्य समय की समाप्ति) Wednesday, 15 th June 2022 (close of Business Hours)
रिमोट ई-वोटिंग Remote E-Voting	रविवार, 19 जून 2022 को सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) से मंगलवार, 21 जून 2022 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक From 10.00 a.m. (IST) on Sunday, the 19 th June 2022 to 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, the 21 st June 2022
लाभांश के लिए अभिलेख तिथि Record Date for Dividend	बुधवार, 15 जून, 2022 (कार्य समय की समाप्ति) Wednesday, 15 th June 2022 (close of Business Hours)
वार्षिक लेखा बंदी तिथि Annual Book Closure Date	बृहस्पतिवार, 16 जून 2022 से बुधवार, 22 जून, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) From Thursday, the 16 th June 2022 to Wednesday, the 22 nd June 2022 (both days inclusive)
लाभांश भुगतान तिथि Dividend Payment Date	शुक्रवार, 15 जुलाई 2022 Friday, 15 th July, 2022

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260 अव्वै षण्मुगम सालै,
रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक के शेयरधारकों की सोलहवीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 22 जून, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

सामान्य कारोबार :

कार्यसूची मद संख्या 1 :

यथास्थिति 31 मार्च 2022 को बैंक की लेखापरीक्षित तुलनपत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई इस अवधि के लिए बैंक के कार्यों व कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र व लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना एवं अपनाना।

कार्यसूची मद संख्या 2 :_

बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा।

विशेष कारोबार :

कार्यसूची मद संख्या 03 :_

क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू अथवा इसके संयोजन के माध्यम से कुल रु.4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक इक्विटी पूंजी का अर्जन।

विचारोपरांत उचित पाए जाने पर निम्नलिखित संकल्प(पों) को विशेष संकल्प(पों) के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 ("स्कीम") और इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 ("विनियम") समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अधीन और ऐसे अनुमोदन के लिए उनके द्वारा निर्धारित निबंधनों, शर्तों एवं उनमें संशोधनों के अधीन जैसा कि ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु बोर्ड की सहमति हो और विनियमों अर्थात् सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") यथा अद्यतन संशोधित/आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों और/तथा अन्य सभी प्रयोज्य विधियों और समय-समय पर अन्य सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित, के प्रावधानों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गई/की जानेवाली समिति को शामिल माना जाएगा) को दी जाती है कि वह बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी की सीमा के अंदर कुल रु.4000 करोड़ (रुपये चार हजार करोड़ मात्र) तक रु.10.00 प्रति के अंकित मूल्य के उस संख्या में इक्विटी शेयर भारत या विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/सूचीपत्र या ऐसे अन्य दस्तावेज के जरिये सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन इस प्रकार करे (उस समय प्रयोज्य विधि द्वारा यथा अनुमत निर्गम के ऐसे भाग और ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों को फर्म आबंटन और/अथवा प्रतिस्पर्धी आधार संबंधी आरक्षण के प्रावधान सहित) कि भारत सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 52.00 प्रतिशत से कम धारण नहीं करेगी, चाहे बाजार मूल्य या उसमें छूट पर,

एक या अधिक शृंखलाओं में, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), कंपनियों – निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं ("क्यूआईबी") यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई"), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ("एफपीआई"), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं, अथवा अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों या अन्य श्रेणी के निवेशकों जो मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु प्राधिकृत हैं या उपर्युक्त का संयोजन के रूप में जैसा बैंक द्वारा उचित समझा जाए, सहित हो।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन इसके अधिक आबंटन के विकल्प सहित या रहित अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईबी), फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू के रूप में या इनके संयोग के रूप में होगा और यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों और आरबीआई, सेबी और संबंधित अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय पर इस प्रकार से और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे, किया जाए।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को ऐसे मूल्य या मूल्यों पर निर्णय लेने का प्राधिकार होगा कि वह इस प्रकार से और जहां भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य सलाहकारों या अन्यथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा बोर्ड अपने विवेकाधिकार से सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों, कोई अन्य या सभी प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा शेयरधारक है अथवा नहीं, ऐसे मूल्य पर जो सेबी आईसीडीआर विनियमों के संगत उपबंधों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम न हो, का निर्णय ले सकता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथासंशोधित, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, के उपबंधों, इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 के उपबंधों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के उपबंधों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के उपबंधों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), उद्योग नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य मंत्रालय और अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों (जिन्हें इसके बाद संयुक्त रूप से "समुचित प्राधिकरण" कहा गया है) से अपेक्षित अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/अथवा मंजूरी के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/अथवा मंजूरीयां (जिन्हें आगे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा गया है) प्रदान करते समय इनमें से किसी के द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों के अधीन, बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत यथा उपबंधित, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के आधार पर क्यूआईबी (सेबी आईसीडीआर विनियम में यथा परिभाषित) के लिए दस्तावेज और/अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज/राइटिंग/परिपत्रों/ज्ञापनों आदि के माध्यम से और सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय प्रचलित विधि के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे मूल्य, निबंधनों और शर्तों पर, समय-समय पर एक या अधिक शृंखलाओं में इक्विटी शेयर या वारंटों से इतर प्रतिभूतियों का सृजन, निर्गम, प्रस्ताव और आबंटन कर सकता है, जो बाद की तिथि में इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय अथवा विनियम योग्य हो, इस प्रकार से कि केन्द्र सरकार किसी भी समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 52.00 प्रतिशत से कम धारण न करें।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईबी) के मामले में :

- क) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल सेबी आईसीडीआर विनियम के अन्तर्गत परिभाषित अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा।
- ख) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के उपबंध के अनुक्रम में बैंक सेबी आईसीडीआर विनियम में यथानिर्धारित आधार मूल्य पर अधिकतम पांच प्रतिशत तक छूट के साथ शेयरों को प्रस्तावित करने हेतु प्राधिकृत है।
- ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य के निर्धारण की संगत तिथि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित एवं अधिरोपित किसी भी आशोधन, बोर्ड द्वारा यथा सहमत, को प्रस्ताव में स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, का एनआरआई, एफआईआई, एफपीआई और/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गम और आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत यथा प्रयोज्य आरबीआई के अनुमोदन के अधीन किंतु अधिनियम में निर्धारित समग्र सीमाओं के अंदर होगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त नए शेयर इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999, यथासंशोधित के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा किसी भी समय घोषित किए जाने वाले तथा ऐसी घोषणा के समय प्रभावी एवं मौजूदा सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश के पात्र होंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी निर्गम/आबंटन को प्रभावी करने के प्रयोजन से बोर्ड, पब्लिक ऑफर की शर्तों के साथ-साथ निवेशकों के वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने, और ऐसे विलेखों, दस्तावेजों और करारों का निष्पादन करने जिसे बोर्ड अपने विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा पब्लिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम की आय के उपयोग के संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान हेतु और बैंक के सर्वोत्तम हित में, शेयरधारकों से अतिरिक्त अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना, अपने विवेकानुसार जैसा उचित और ठीक समझे, निबंधनों और शर्तों के संबंध में ऐसे आशोधन, परिवर्तन, भिन्नताओं, फेरबदल, विलोपन, वृद्धि को स्वीकार और प्रभावी करने और इस संकल्प के तहत बैंक को प्रदत्त सभी या किसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड, ऐसी समस्त व्यवस्थाओं के लिए किसी मर्चेन्ट बैंकर(रों), बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), विधि सलाहकार(रों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपॉजिटरी(यों), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो इस प्रकार के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम प्रस्ताव में निहित अथवा संबद्ध हों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं में शामिल होने और निष्पादन करने, और ऐसी समस्त संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क अथवा तत्समान किसी स्वरूप में पारिश्रमिक देने के लिए और ऐसी एजेंसियों के साथ भी ऐसी सभी व्यवस्थाएं, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के प्रयोजन से बोर्ड, मर्चेन्ट बैंकर(रों), बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), विधि सलाहकार(रों), हामीदार(रों), और/अथवा अन्य व्यक्तियों जो कि बैंक द्वारा नियुक्त किए गए हों, के परामर्श से ऐसा करने हेतु प्राधिकृत होगा कि वह निर्गम(मों) के स्वरूप एवं शर्तों का निर्धारण कर सकेगा जिसमें निवेशकों का वह वर्ग जिसे शेयरों/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/वारंटों का प्रयोग/प्रतिभूतियों के निर्मोचन, ब्याज दर, निर्मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा निर्मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/संपरिवर्तन पर प्रीमियम, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, अभिलेख तिथि अथवा बही बंदी का निर्धारण और संबद्ध एवं आनुषांगिक मामले, भारत और/अथवा विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता जैसा कि बोर्ड द्वारा विवेकानुसार उचित समझा जाए, भी सम्मिलित है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे शेयरों को जो कि सब्सक्राइब नहीं हुए हों, बोर्ड द्वारा अपने विवेकाधिकार से जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए तथा विधि अनुसार अनुज्ञेय निष्पादित किया जा सकेगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से बोर्ड, इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने, जिसे बोर्ड अपने विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा इस संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के

समाधान हेतु और साथ ही सभी दस्तावेजों तथा लेखन जैसा आवश्यक, वांछनीय अथवा उचित समझे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और बात, जिसे वह अपने विवेकाधिकार के तहत उचित अथवा वांछनीय समझे, शेयरधारकों की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की मांग अथवा प्राधिकृत किए बिना यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इन संकल्पों के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प(पों) को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियाँ बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) में से किसी को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी(यों) को, जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु बोर्ड एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

ह.अ.

(एस एल जैन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 24.05.2022

टिप्पणियाँ

1. व्याख्यात्मक विवरण :

बैठक के व्यवसाय के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करनेवाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और यह सूचना का हिस्सा है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक का संचालन ("ई-एजीएम") :

ए) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी साधारण परिपत्र क्र 14/ 2020, 17/ 2020, 20/ 2020, 02/ 2021, 21/ 2021 एवं 02/ 2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर 2021 एवं 5 मई, 2022 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी परिपत्र) द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/ 2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/ 2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/ 2022/62 दिनांक 13 मई 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी परिपत्र) द्वारा जारी परिपत्र तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की एजीएम का संचालन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों/शेयरधारकों की भौतिक रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। एजीएम के लिए विचारणीय स्थान चेंनै में स्थित बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय होगा। चूंकि कार्यसूची मदों को टाला नहीं जा सकता है, अतः वीसी/ओएवीएम के जरिए बैंक के एजीएम में इसे संचालित किया जाए।

बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की है।

सी) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभागिता एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

डी) सेबी एवं एमसीए परिपत्र परिपत्र/दिशानिर्देश के अनुसार, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in, स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ई) चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं है, जैसा कि सचिवीय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है।

एफ) भौतिक मोड में शेयर रखनेवाले शेयरधारक एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए लिंक <https://investors.cameoindia.com> पर क्लिक करके अपने ई-मेल आईडी को अस्थायी रूप से पंजीकृत कर सकते हैं।

3. मतदान अधिकार :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक, मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है तो इस स्थिति में रजिस्टर में पहले पंजीकृत व्यक्ति को मतदान किए जाने का अधिकारी माना जाएगा।

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों/शेयरधारकों को भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, अतः मौजूदा एमसीए/सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार प्राक्सियों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, एजीएम में सदस्यों द्वारा प्राक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्राक्सी की नियुक्ति के लिए लिखत इस एजीएम सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति जिसे उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिसे बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, विंग 2 – सी, द्वितीय तल, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नै – 600 014 को या उक्त संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति की स्कैन कॉपी ई-मेल के माध्यम से scrutinizer@snaco.net एवं इसकी प्रति investors@indianbank.co.in को वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले तक अर्थात् 17 जून, 2022 को कार्य-समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व भेजा जाए।

6. अभिलेख तिथि और बही का बन्द किया जाना:

लाभांश भुगतान हेतु अभिलेख तिथि बुधवार, 15 जून, 2022 होगी।

एजीएम और लाभांश भुगतान के निमित्त बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण/हस्तान्तरण बहियाँ बृहस्पतिवार, 16 जून, 2022 से बुधवार, 22 जून, 2022 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेंगी।

7. लाभांश का भुगतान:

वार्षिक आम बैठक में यदि शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसका भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम:

ए) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये शेयरों के सम्बन्ध में, बुधवार, 15 जून, 2022 को कार्य समाप्ति पर एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली शेयरधारकों की सूची में शामिल हों तथा/अथवा

बी) भौतिक रूप में रखे गये शेयरों के सम्बन्ध में, बुधवार, 15 जून, 2022 को कार्य समाप्ति से पूर्व शेयरधारकों से प्राप्त वैध अंतरण/हस्तांतरण अनुरोध को प्रभावी करने के पश्चात शुक्रवार, 08 जून, 2022 को शेयरधारकों की पंजी में शामिल हों।

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के माध्यम से लाभांश को जमा करने का विकल्प नहीं दिया है, उन्हें लाभांश के भुगतान तिथि से पहले रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट यथा मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड के जरिए लाभांश वारंट भेजा जाएगा।

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने एनएसीएच/इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा के माध्यम से लाभांश को अपने खाते में जमा करने का विकल्प दिया है, उनका लाभांश एनएसीएच के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। एनएसीएच निष्फलध्वापस होने की स्थिति में संबंधित शेयरधारकों को लाभांश वारंट जारी किया जाएगा।

लाभांश का भुगतान भारत सरकार के आवश्यक अनुमोदन/निर्देश के अधीन है। लाभांश भुगतान की तिथि 15 जुलाई, 2022 होगी।

8. लाभांश स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस):

शेयरधारक ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') में परिवर्तन के अनुसार, लाभांश के रूप में प्राप्त आय पर शेयरधारकों को कर देना है और शेयरधारकों को निर्धारित दरों पर लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत (टीडीएस) पर बैंक द्वारा कर कटौती किया जाना है। कर कटौती की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और अधिनियम में उल्लिखित छूट के आधार पर अपेक्षित दस्तावेजों को मुहैया कराने के अधीन अलग-अलग होगी।

टीडीएस कटौती में छूट का दावा करने के लिए कर योग्य सीमा से कम कुल आयवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे फॉर्म 15जी (60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए लागू)/15एच (60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू) को बैंक को ई-मेल investors@indianbank.co.in या बैंक की आरटीए की ई-मेल आईडी investor@cameoindia.com /agm@cameoindia.com पर भेजें।

कृपया ध्यान दें कि कर निर्धारण/कटौती से संबंधित किसी भी पत्राचार/दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वह बैंक को व्यावसायिक समय की समाप्ति अर्थात् 30 जून 2022 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले प्राप्त नहीं होता है।

9. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र :

चूंकि बैठक वीसी/ओवीएम के माध्यम से संचालित की जा रही है अतः एजीएम में सहभागिता के लिए उपस्थिति पर्ची की आवश्यकता नहीं है।

10. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचार :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, ट्रांसमिशन, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन पद्धति) अधिदेश आदि हेतु अनुरोध करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को निम्न पते पर संपर्क करें :-

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड

(यूनिट : इंडियन बैंक)

सुब्रमण्यम बिल्डिंग

नं -1, क्लब हाउस रोड,

चेन्नै 600 002

टेलीफोन - 044 - 28460390/91/92/93/94 (5 लाइनें)

ईमेल : investor@cameoindia.com या cameo@cameoindia.com

शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इंडियन बैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में निवेशक सेवा कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं :

मुख्य वित्त अधिकारी इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अब्बै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014 दूरभाष : 044-28134383 ई-मेल : cfo@indianbank.co.in	सहायक महा प्रबन्धक एवं कंपनी सचिव निवेशक सेवा कक्ष 254-260, अब्बै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014 दूरभाष : 044-28134698 ई-मेल : investors@indianbank.co.in
---	---

11. अदत्त/अदावी लाभांश, यदि हो, तो :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार, वह राशि जो अदत्त/अदावी लाभांश खाता में अंतरित किया गया हो और ऐसे अंतरण की तिथि से वह सात वर्षों के लिए अदत्त/अदावी हो तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205 सी/125 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित किया जाएगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.सं.7/93/2013-बीओए दिनांक 21.05.2014 के माध्यम से दिए गए निर्देश/दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के बैंक की अदत्त और अदावी लाभांश राशि को केंद्र सरकार के "इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड" में अंतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 और उसके बाद बैंक द्वारा घोषित लाभांश का लाभांश वारंट भुगतान नहीं कराया है, वे एनईएफटी/ सीधे अंतरण के माध्यम से अपने अदत्त लाभांश वारंट की रकम के विप्रेषण के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, नं-1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002 के पास अपना वैध दावा दर्ज करें।

अदत्त/अदावी लाभांश वारंटों का विवरण बैंक की साइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

12. पता/बैंक ब्यौरा/बैंक खाता में परिवर्तन

ए) लाभांश का भुगतान, यदि कोई घोषित किया गया हो, करने हेतु एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते के ब्यौरे संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किया जाता है।

तदनुसार, शेयरधारक जिन्होंने अपना शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के साथ अद्यतन कराएं। इंडियन बैंक अथवा इसके आरटीए इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे शेयरों/डीमैट खाते के धारकों के बैंक विवरणों अथवा बैंक मैडेन या पंजीकृत पते में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों, यदि कोई हो, के लिए शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां उनका डीमैट खाता है, को संपर्क करें।

बी) शेयरधारक जिन्होंने अपना शेयर भौतिक रूप में रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), कैमियो कॉर्पोरेट सेवाएँ लिमिटेड को उनके उल्लिखित पते पर औपचारिक अनुरोध भेजें :

- (i) पते में परिवर्तन के लिए— वैध दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध/आवेदन।
- (ii) बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन करने के लिए— प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध/आवेदन के साथ रद्द किए गए चेक जिस पर खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड और नाम मुद्रित हो।

सी) बैंक अथवा बैंक के आरटीआए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय भौतिक रूप (शेयर प्रमाणपत्र) में शेयर रखने के मामले में शेयरधारक संबंधित फोलियो क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट खाते) रूप में शेयर रखने के मामले में डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

13. हरित पहल :

बैंक द्वारा किए जा रहे 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में (डीमैट खाते) में हैं, तो वे अपने डीपी के माध्यम से अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। भौतिक रूप (शेयर प्रमाणपत्र) में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों का ई-मेल पता बैंक के आरटीए, कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को उनके उपरोक्त पते पर एक लिखित हस्ताक्षरित अनुरोध भेजकर पंजीकृत/दर्ज किया जा सकता है।

14. ई-मतदान के माध्यम से मतदान अधिकार का प्रयोग:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, बैठक में उपस्थित रहने व मतदान के पात्र शेयरधारक रिमोट ई-मतदान के जरिये अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामी के मताधिकारों का निर्धारण **बुधवार, 15 जून, 2022** (इस उद्देश्य हेतु निर्धारित तिथि) को उनके द्वारा धारित शेयरों के आधार पर किया जाएगा।

15. सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण :

सेबी और एमसीए के मौजूदा परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार 16वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाएगी बल्कि इनकी प्रतियां उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते बैंक के शेयरधारक रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं।

एजीएम नोटिस और वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर भी उपलब्ध किया जाएगा।

16. भौतिक धारण का अमूर्तीकरण :

सेबी के मौजूदा मानदंडों के अनुपालन में, बैंक भौतिक रूप में रखे शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं करेगा। भौतिक या अभौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का आगे संचरण/स्थानांतरण केवल अमूर्तीकृत रूप में किया जाएगा। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाणपत्र) रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों से बचने के लिए अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा लें। शेयरों के अमूर्तीकरण से तरलता में भी वृद्धि होती है तथा शेयरधारक अपने डीमैट खाते से जुड़े डीमैट ट्रेडिंग खाते के माध्यम से अपनी सुविधा के अनुसार शेयरों को बेच सकेंगे।

भौतिक शेयरों (शेयर प्रमाणपत्र) के अमूर्तीकरण के लिए निर्देशात्मक प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(ए) शेयरों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में अमूर्त (डीमैट) रूप में रखा जा सकता है। एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपॉजिटरी हैं जहां निवेशक/शेयरधारक के शेयर/प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के माध्यम से रखी जाती हैं।

(बी) शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए, शेयरधारक को स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी या डीमैट सेवाएं प्रदान करनेवाले बैंक में एक डीमैट खाता खोलना होगा। हमारा बैंक अपनी अनुषंगी इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड (आईबीएमबीएस) के माध्यम से डीमैट सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आईबीएमबीएस की वेबसाइट www.indbankonline.com पर लॉग ऑन करें।

(सी) डीमैट खाता खोलने के बाद, शेयरधारक को अपने डीपी, जिसके साथ उन्होंने अपना डीमैट खोला है, को भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जमा करना होगा।

(डी) संबंधित डीपी अमूर्तीकरण अनुरोध को संसाधित करेगा और दस्तावेजों के सत्यापन पूरा होने के बाद, संबंधित शेयर प्रमाणपत्र के अनुसार शेयरों की संख्या संबंधित शेयरधारक के डीमैट खाते में जमा हो जाएगा।

17. बैठक में ई-मतदान हेतु संवीक्षक :

एजीएम प्रक्रिया में रिमोट ई-मतदान और मतदान को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु बैंक ने मेसर्स एस एन अनन्तसुब्रमणियन, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

18. ई-मतदान एवं संबन्धित प्रक्रिया :

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:-

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन)- कार्यसूची मद संख्या 01 : यथास्थिति 31 मार्च 2022 को बैंक की लेखापरीक्षित तुलनपत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई इस अवधि के लिए बैंक के कार्यों व कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र व लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना एवं अपनाना। कार्यसूची मद संख्या 02 : बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। कार्यसूची मद संख्या 03 : क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू अथवा इसके संयोजन के माध्यम से रु.4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक इक्विटी पूंजी का अर्जन।	220519003
---	-------------------------

- (ए) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार बुधवार, 15 जून, 2022 (इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि) को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयर के अनुसार होंगे।
- (बी) मतदान की अवधि **रविवार, 19 जून, 2022 को सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और मंगलवार, 21 जून, 2022 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।** इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास कट-ऑफ तिथि अर्थात् 15 जून, 2022 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- सी) ई-वोटिंग की सुविधाएजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, जो शेयरधारक बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर चुका होगा, वे बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- (डी) सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के माध्यम से निम्नानुसार सूचित किया है:
- (i) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।
 - (ii) वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करनेवाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।
 - (iii) सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से एकल लॉगइन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग सक्रिय करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी में फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना आसान और सुविधायुक्त बनाएगी।

(ई) उपरोक्त सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसरण में, डीमैट रूप में शेयर/प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारक का प्रकार	लॉगइन विधि
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/इजियेस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/इजियेस्ट में लॉगइन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login हैं या वे www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगइन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम माईईजी चुनें। - सफल लॉगइन के बाद ईजी/इजियेस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात् सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिंगइनटाइम के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए लिंक भी प्रदान किया गया है ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके। - यदि उपयोगकर्ता ईजी/इजियेस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण के लिए https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर विकल्प उपलब्ध है। - वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक में डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता जहां वोटिंग चल रही है उसके लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम को सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।
एनएसडीएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- यदि प्रयोक्ता पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवाएं वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-सेवाओं का होम पेज खुलने के बाद 'आईडीईएस' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगइन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। प्रयोक्ता को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और प्रयोक्ता ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें जो प्रयोक्ता को रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा। - यदि प्रयोक्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। आईडीईएस पोर्टल के लिए "रजिस्टर ऑनलाइन" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

	3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद 'शेयरहोल्डर/मेम्बर' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगइन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार प्रयोक्ता को अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में रखे आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद प्रयोक्ता को एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा जहां प्रयोक्ता ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें जो आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखनेवाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगइन करते हैं	प्रयोक्ता ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगइन कर सकते हैं। सफल लॉगइन के बाद आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर प्रयोक्ता को सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें जो आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में तकनीकी समस्या होने पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क करने के लिए सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या 022- 23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में तकनीकी समस्या होने पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क करने के लिए सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

- (i) ई-वोटिंग और डीमैट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि:
- शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागऑन करें।
 - "शेयरहोल्डर" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
 - अब अपने यूजर आईडी को प्रविष्ट करें।
 - सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
 - एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी,
 - भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।
 - छवि सत्यापन को प्रदर्शित किए अनुसार दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

- यदि आप डीमैट रूप में शेयर रख रहे हैं और www.evotingindia.com पर लॉगइन किया है और किसी अन्य कंपनी के मतदान में शामिल हुए हैं, तो आप मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा-न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) जिन शेयरधारकों ने बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक/आरटीए द्वारा दिए गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या बैंक/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	लॉगइन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें। यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक में दर्ज नहीं हैं, तो लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो संख्या दर्ज करें।

- इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, “सबमिट” टैब पर क्लिक करें।
- भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक इसके बाद सीधे कंपनी चयन स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब “पासवर्ड सृजन” के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को प्रविष्ट करें। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के जरिए ई-मतदान का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें।
- भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों के लिए, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई-मतदान के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- संबंधित < कंपनी/बैंक का नाम> ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान देना चाहते हैं।
- वोटिंग पेज पर आप “संकल्प का वर्णन” पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु “हाँ/नहीं” विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार “हाँ” या “नहीं” का चयन करें। “हाँ” विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और “नहीं” विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो “संकल्प फाइल लिंक” पर क्लिक करें।
- आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओके” पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो “कैन्सल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट “पुष्टिकृत” (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- वोटिंग पेज पर “क्लिक हियर टू प्रिंट” विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए वोट को प्रिंट भी कर सकेंगे।

यदि डीमैट खाताधारक, अपने बदले गए पासवर्ड को भूल जाता है तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड को दर्ज करें और “पासवर्ड भूल गए” पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।

गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक और कस्टोडियन के लिए सुविधा- रिमोट वोटिंग

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से अन्य) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉगइन करना होगा और खुद को ‘कोर्पोरेट्स’ मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था की मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करना होगा।

- लॉगइन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल किया जाना चाहिए और उन खातों का अनुमोदन होने के पश्चात वे अपना मतदान कर सकेंगे।
- बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन प्रति जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई है, तो इसे सत्यापित करने के लिए स्कूटिनाइजर के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक और बैंक को ईमेल पते यथा investors@indianbank.co.in पर भेजा जाना अपेक्षित है, यदि उन्होंने अलग-अलग टैब से मतदान किया है और जांच के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में उसे अपलोड नहीं किया है।

19. एजीएम में /के दौरान मतदान

कार्यसूची मदों पर चर्चा के बाद बैंक इन कार्यसूची मदों के संदर्भ में मतदान शुरू करेगा। यह मतदान इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किए गए संवीक्षक के द्वारा संचालित व परीक्षित किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम से बैठक में शामिल होनेवाले शेयरधारक/अधिकृत प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि वे शेयरधारक जोकि रिमोट ई-मतदान के जरिये अपना मत दे चुके हैं वे बैठक के दौरान होने वाली मतदान प्रक्रिया में दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे।

20. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में सहभागिता और ई-मतदान के संबंध में शेयरधारकों के लिए निम्नलिखित निर्देश हैं :

- ए) एजीएम के दिन बैठक और ई-वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया वही है जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित है।
- बी) नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, शेयरधारक बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में जुड़ सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता की सुविधा सबसे पहले जुड़ने वाले 1000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति एवं हितधारक संबंध समित, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे तथा ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग सकेंगे।
- सी) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा जहां रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगइन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
- डी) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम के दौरान मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- ई) शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि बेहतर अनुभव के लिए वे लैपटाप/आई पैड का इस्तेमाल करें।
- एफ) इसके अतिरिक्त बाधा रहित बैठक के लिए शेयरधारकों को अच्छी तीव्रता वाले इन्टरनेट का प्रयोग एवं कैमरा ऑन किए जाने की आवश्यकता है।
- जी) मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या लैपटाप का उपयोग करनेवाले कृपया नोट करें कि संबंधित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो की अदृश्यता हो सकती है। अतः उपरोक्त अवरोधों से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के प्रयोग की सलाह दी जाती है।
- एच) यदि कोई शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना/प्रश्न पूछना चाहता है तो वह **15 जून, 2022 तक या उससे पहले** investors@indianbank.co.in पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने हेतु अग्रिम निवेदन भेजे। वे शेयरधारक जिनके पास प्रश्न हैं किन्तु वे उन्हें एजीएम

के दौरान नहीं पूछना चाहते हैं, वह **15 जून, 2022 तक या उससे पहले** कंपनी के ई-मेल आईडी पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए अपने प्रश्नों को हमें भेजे। बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त रूप से ई-मेल द्वारा दिये जाएंगे।

आई) जिन शेयरधारकों ने स्वयं को स्पीकर के रूप पंजीकृत किया है केवल वे ही एजीएम के दौरान अपने विचार प्रकट कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं।

जे) केवल वे शेयरधारक, जोकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई-मतदान के माध्यम से कार्यसूची मदों/संकल्पों पर मतदान नहीं किया है एवं ऐसा करने से प्रतिबंधित भी नहीं हैं, एजीएम के दौरान ई-मतदान हेतु पात्र होंगे।

के) उन शेयरधारकों, जिन्होंने एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है किन्तु वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से होनेवाली बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, के मतों को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित रहनेवाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी।

एल) कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेनेवाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नं. बैंक/डिपॉजिटरी के शेयरधारक रिकॉर्ड में पंजीकृत नहीं हैं।

ए) वे शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है— कृपया अपना आवश्यक विवरण यथा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) **आरटीए को ईमेल आईडी murali@cameoindia.com पर ईमेल द्वारा भेजें।**

बी) डीमैट शेयरधारकों के लिए — कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से अद्यतन करें।

सी) व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए — कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से अद्यतन करें जो डिपॉजिटरी के माध्यम से ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि आपके पास एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।

21. एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान और ई-मतदान के परिणाम :

रिमोट ई-मतदान के परिणामों को बैठक में ई-मतदान के परिणामों के साथ एकत्र किया जाएगा जिसकी घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई को भी सूचित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण विवरण :

क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू अथवा इसके संयोजन के माध्यम से कुल रु.4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक इक्विटी पूंजी का अर्जन :

- ए) आरबीआई के बेसल III दिशानिर्देशों के अनुपालन और कारोबार में वृद्धि हेतु आवश्यक निधि प्रदान करने के लिए मजबूत पूंजी आधार बनाए रखने हेतु बैंक को पूंजी की निरंतर आवश्यकता है।
- बी) बैंक के प्रमोटर, भारत सरकार की बैंक में वर्तमान हिस्सेदारी, 79.86 प्रतिशत है, यानी 75.00 से अधिक है। भारत सरकार (जीओआई) राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 738(ई) दिनांक 03 अगस्त, 2018 और भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 485(ई) दिनांक 31 जुलाई 2020 के जरिए संशोधित प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 के तहत सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से शेयर प्रारंभ होने के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के भीतर बैंक द्वारा सार्वजनिक हिस्सेदारी को कम से कम 25.00 प्रतिशत बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंक अपनी विकास पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के साथ ही बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता को बढ़ाने के लिए क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू के माध्यम से इक्विटी पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। इन विकल्पों का प्रयोग बैंक द्वारा प्रचलित बाजार परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।
- सी) सरकार भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 520 (ई) दिनांक 30 जुलाई 2021 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के तहत प्रावधानों में संशोधन किया गया और एससीआरआर में उक्त संशोधन के संदर्भ में, केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को एससीआरआर की किसी भी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है।
- डी) इसके बाद, केंद्र सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ. नं. 5/35/सीएम/2006 खंड III दिनांक 04.08.2021 के माध्यम से सेबी को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने जनहित में निर्णय लिया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जैसा कि एससीआरआर, 1957 में परिभाषित है, जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता पच्चीस प्रतिशत से कम है और जो एससीआरआर, 1957 के नियम 19ए में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक नहीं बढ़ा सकता है, को अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए दिनांक 01.08.2022 तक छूट मिलेगी।
- ई) बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 11 मई, 2022 को अपनी बैठक में शेयरधारकों और अन्य अपेक्षित सांविधिक/विनियामक के अनुमोदन के अधीन विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त होने पर बैंक की इक्विटी पूंजी रु.4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन दिया है।
- एफ) तदनुसार, बैंक ने बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने के लिए क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने का प्रस्ताव किया है। मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर बैंक द्वारा इन विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा।
- जी) उपरोक्तानुसार, इक्विटी पूंजी को भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंककारी बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970, सेबी आईसीडीआर विनियम में निर्धारित अन्य प्राधिकरणों से उचित अनुमोदन के साथ जुटाई जाएगी जो सेबी के अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों/ विनियमों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के अनुपालन में होंगे।
- एच) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, केंद्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का बावन प्रतिशत से कम धारण नहीं करेगी।
- आई) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 41(4) के अनुसार जब कभी बैंक द्वारा कोई निर्गम या प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसे मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात में उपलब्ध कराया जाएगा जब तक कि शेयरधारक आम बैठक में इसे लेने से इंकार न कर दे। यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो इससे बैंक की ओर से बोर्ड को मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात में उपलब्ध कराने के स्थान पर अन्य को प्रतिभूतियां निर्गम और आबंटित करने की अनुमति मिल जाएगी।

- जे) यह संकल्प बैंक को फॉलो ऑन सार्वजनिक निर्गम, और/या निजी स्थानन आधार या भारत सरकार/आरबीआई द्वारा अनुमोदित अन्य माध्यम से इक्विटी शेयर/अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियों को सृजित, प्रस्तावित, निगमित और आबंटित करने में सक्षम बनाती है। निर्गम आय से बैंक समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं में समर्थ होगी।
- के) यह संकल्प निदेशक मंडल को आईसीडीआर विनियम द्वारा परिभाषित अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं सहित अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के उत्तरदायित्व के लिए समर्थ बनाती है। निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि अर्जन करने हेतु शेयरधारकों से फिर से अनुमोदन लिए बिना आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपना सकती है।
- एल) सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुरूप क्यूआईपी निर्गम के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम "संबंधित तिथि" से पिछले दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर प्रस्तुत शेयरों के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न अंतिम मूल्यों के औसत से कम मूल्य पर नहीं किया जा सकता है। "संबंधित तिथि" से उस बैठक तिथि का तात्पर्य है जिसमें बैंक बोर्ड या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेती है।
- एम) प्रस्ताव के लिए विस्तृत निबंधनों और शर्तों का निर्धारण बाजार स्थितियों और अन्य अपेक्षित विनियामक को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अपेक्षित प्राधिकरण या प्राधिकरणों के परामर्श से किए जाएंगे।
- एन) चूंकि प्रस्ताव का मूल्य अभी निर्धारित नहीं किया जा सका है और यह बाद में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं है। तथापि, यह मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियम, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 समय-समय पर यथासंशोधित या अन्य प्रयोज्य या अपेक्षित दिशानिर्देशों/विनियमों/स्वीकृतियों के अनुसार होगी।
- ओ) उपर्युक्त कार्यों के निमित्त बोर्ड को निर्गम के निबंधनों को निर्धारित करने हेतु पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार देने से संबंधित एक संकल्प पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है।
- पी) आबंटित इक्विटी शेयर, हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के सम मात्रा में होंगे।
- क्यू) इस उद्देश्य हेतु बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः आपसे उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए सहमति का अनुरोध है।
- आर) बैंक या इसके निदेशकों या प्रवर्तक में से कोई भी इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है।
- एस) बैंक के निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके रिश्तेदारों का संलग्न नोटिस के कार्यसूची मद संख्या 3 में निर्धारित विशेष संकल्प से हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह.अ.

(एस एल जैन)

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 24.05.2022



Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai- 600 014.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Sixteenth Annual General Meeting** of the Shareholders of Indian Bank will be held on wednesday, **the 22nd June, 2022 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business (es):

Ordinary Business:

Agenda Item No. 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2022, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Agenda Item No. 2:

To declare dividend on Equity Shares of the Bank

Special Business:

Agenda Item No. 3:

To raise equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights Issue or in combination thereof.

To consider and if thought fit, pass the following Resolution(s) as a **Special Resolution(s)**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“The Act”), the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (“The Scheme”) and Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 (“The Regulations”), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“SEBI ICDR Regulations”), as amended up to date/guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its

powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10.00 (Rupees ten only) each, aggregating to not more than Rs.4000 crore (Rupees four thousand crore only) being within the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 52.00% of the paid up equity capital of the Bank, whether at a premium or at a discount to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the shareholders, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies-private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Foreign Portfolio Investors ("FPIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer and allotment shall be either by way of Qualified Institutions Placements (QIPs), Follow on Public Issue, Rights Issue or in combination thereof with or without over allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and wherever necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999, the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches,

equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52.00% of the paid up Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in SEBI ICDR Regulations) pursuant to Qualified Institutions Placement, as provided for under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents/ writings/circulars/ memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of Qualified Institutions Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations;

- (a) the allotment of securities shall be made to Qualified Institutional Buyers only as defined under SEBI ICDR Regulations and such securities shall be fully paid up and the allotment of such securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.
- (b) the Bank is, pursuant to proviso under Regulation 176 (1) of the SEBI ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the SEBI ICDR Regulations.
- (c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs, FPIs and/or other eligible foreign investors pursuant to this resolution be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest

of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Merchant Banker (s), Book Runner(s), Lead Manager(s), Legal Advisor(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such other agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Merchant Banker (s), Book Runner(s), Lead Manager(s), Legal Advisor (s), Underwriter (s) and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue (s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of these Resolutions.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or to the Executive Director(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution (s).”

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date 24th May 2022

Sd/-
(S.L. Jain)
Managing Director & CEO

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT (S):

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. HOLDING OF ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("E-AGM"):

- (a) Pursuant to General Circular No.14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 and 02/2022 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 14th December 2021 and 05th May 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM, which does not require physical presence of members/shareholders at a common venue. The deemed venue of the AGM shall be the Corporate Office of the Bank situated at Chennai. The Agenda items being unavoidable, be transacted at the AGM of the Bank through VC/OAVM.
- (b) The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank will ensure sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- (c) Central Depository Services (India) Limited (CDSL) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM.
- (d) In line with the extant SEBI and MCA circulars/guidelines, the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2021-22 will be made available on the website of the Bank at www.indianbank.in, on the website of the Stock Exchanges namely BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com
- (e) As the AGM will be held through VC/OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.
- (f) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link <https://investors.cameoindia.com> to get the soft copy of the Notice of AGM and the Annual Report.

3. VOTING RIGHTS:

In terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, is entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Further, as per Regulation 10 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

4. APPOINTMENT OF PROXY:

Since the AGM will be held through VC/OAVM, where physical attendance of shareholders/members in any case has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies in terms of extant MCA/ SEBI guidelines. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the shareholders will not be available for the AGM and as such, instrument for appointing proxy is not being attached with this AGM Notice.

5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investors' Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 or a scanned certified to be a true copy of the aforesaid Resolution is emailed to scrutinizer@snaco.net and a copy to investors@indianbank.co.in, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on **17th June, 2022**.

6. RECORD DATE AND BOOK CLOSURE:

Record Date for payment of dividend will be **Wednesday, the 15th June, 2022**.

The Register of Shareholders and the Share Transfer / Transmission Books of the Bank will remain closed **from Thursday, the 16th June 2022 to Wednesday, the 22nd June 2022** (both days inclusive) for the purpose of 16th AGM and Dividend payment.

7. PAYMENT OF DIVIDEND:

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

- (a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on **Wednesday, the 15th June, 2022** as per the lists to be furnished by NSDL/CDSL in respect of the Shares held in electronic form and/or
- (b) in the Register of shareholders as on **Wednesday, the 15th June, 2022** after giving effect to the valid transfer/transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hours on Friday, the 08th June, 2022.

Dividend warrants to those shareholders who have not opted for credit of their dividend through National Automated Clearing House (NACH) would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agent viz. Cameo Corporate Services Ltd., before the date of payment of dividend.

The shareholders who have opted for credit of their dividend through NACH/electronic credit, will be paid dividend through NACH by directly crediting the dividend amount to their Bank account. In case of failure/ return of NACH, the dividend warrants will be issued to the respective shareholders.

The payment of dividend is subject to necessary approval/direction from the Govt. of India. **The dividend payment date will be 15th July 2022.**

8. TAX DEDUCTED AT SOURCE (TDS) ON DIVIDEND:

Shareholders may note that pursuant to the changes in the Income Tax Act, 1961 ('the Act') as amended by the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders and the Bank is required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of dividend to shareholders at the prescribed rates. The tax deduction / withholding tax rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the exemptions as enumerated in the Act subject to fulfilling the documentary requirements.

Shareholders having total income below the taxable limit, are requested to submit Form 15G (applicable to an individual below the age of 60 years)/15H (applicable to an individual of the age of 60 years and above), to the Bank at e-mail ID investors@indianbank.co.in or to Bank's RTA at e-mail ID investor@cameoindia.com / agm@cameoindia.com for claiming exemption from TDS deduction.

Kindly note that no communication/documents on the tax determination / deduction shall be considered if the same is not received by the Bank on or before the close of Business Hours i.e. 5.00 pm on 30th June 2022.

9. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

As the Meeting is being conducted through VC/OAVM, Attendance Slip-cum Entry Pass will not be required to attend the AGM.

10. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT:

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, to lodge request for transmission, issue of duplicate share certificate, ECS (Electronic Clearing System) Mandate etc. at the following address:-

Cameo Corporate Services Limited
(Unit : Indian Bank)
Subramanian Building No.1,
Club House Road
Chennai - 600 002
Tele:- 044-28460390/91/92/93/94 (5 Lines)
Email: investor@cameoindia.com, cameo@cameoindia.com

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Indian Bank has set up an Investor Services Cell at its Corporate Office, Chennai. Shareholders may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The Chief Financial Officer Indian Bank, Corporate Office 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014 Telephone No.-044-28134383 E-mail-cfo@indianbank.co.in	The Asst. General Manager & Company Secretary Indian Bank, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 Telephone No.044-28134698 Email-investors@indianbank.co.in
--	---

11. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C /125 of the Companies Act, 1956/2013.

Pursuant to the directives/guidelines of the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013- BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividend amounts of the Bank upto the Financial Year 2013-14 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund" of the Central Government.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants, if any declared by the Bank for Financial Year 2014-15 and onwards are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, along with his/her Bank details for remittance of proceeds of the unpaid dividend warrant/s to him/her through NEFT/Direct Credit.

The details of the Unpaid Dividend Warrants have been made available on Bank's website www.indianbank.in.

12. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT:

- (a) For payment of dividend, declared if any, the Bank details registered with the NSDL/CDSL are downloaded by RTA from the respective Depository.

Accordingly, shareholder(s) holding shares in electronic form are requested to update his/her bank details through their respective Depository Participant ("DP"). Indian Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the shareholder(s) holding shares in electronic form/demat account for any change of bank particulars or bank mandates or recorded address. Request for such changes, if any, have to be taken up by the shareholder(s) with his/her respective Depository Participant, where he/ she is maintaining his/ her Demat Account.

- (b) Shareholder(s) holding shares in physical form are requested to send formal request to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA), Cameo Corporate Services Ltd. at the address mentioned herein before:

- (i) For Change of Address- Request/Application duly signed by the first/sole shareholder along with a valid documentary proof
- (ii) For Change/Updation of Bank Details- Request/Application duly signed by the first/sole shareholder along with a cancelled cheque leaf bearing details like A/c No., MICR code, IFSC Code and name printed thereon.

- (c) While making any correspondence either with the Bank or Bank's RTA, shareholder(s) must quote his/her respective folio number/s in case shares are held in physical form (Share Certificate) or DP Id & Client Id in case shares are held in electronic form (demat account).

13. GREEN INITIATIVE:

To contribute to the noble cause of 'Green Initiatives', being undertaken by the Bank, the shareholders are requested to register/update their email address through their DPs in case the shares are held in electronic form (Demat account). The email address of the shareholders who are holding shares in physical form (share certificate) can be registered/recorded by sending a written signed request to Bank's RTA, Cameo Corporate Services Limited at their aforementioned address.

14. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH REMOTE E-VOTING:

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

Remote e-voting is optional.

The voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by him/her as on Wednesday, **the 15th June 2022** (Cut-Off Date fixed for the purpose).

15. DISPATCH OF AGM NOTICE AND ANNUAL REPORT:

In line with extant SEBI and MCA circulars/guidelines, copies of the Notice of 16th AGM and the Annual Report of the Bank for FY 2021-22 shall not be dispatched in physical form and the same shall be sent through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered in Shareholders Record of the Bank.

Notice of AGM and Annual Report of the Bank for FY 2021-22 will also be made available on the Bank's website www.indianbank.in.

16. DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SHARE HOLDINGS:

In compliance of extant SEBI norms, the Bank shall not process transfer of shares in physical form. Further transmission/ transposition of securities held in physical or dematerialised form shall be effected only in dematerialised form. Accordingly, the shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to get his/her shares dematerialized to eliminate all risks associated with physical shares. Dematerialization of shares also add to liquidity and the shareholder will be able to sell the shares as per his/her convenience through a Demat Trading Account linked to his/her Demat Account.

The indicative process for dematerialization of physical shares (Share Certificates) is as under:

- (a) Shares can be held in dematerialized (demat) form in National Securities Depository Ltd. (NSDL) or Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). NSDL and CDSL are depositories where the shares/securities of an investor/shareholder are held in electronic form through the medium of Depository Participants (DPs).
- (b) For getting the shares dematerialized, the shareholder will have to open a Demat Account with a Stock Broking Company or Bank offering Demat Services. Our Bank is also offering Demat Services through its subsidiary, Indbank Merchant Banking Services Ltd., (IBMBS). For further details, please log on to IBMBS website www.indbankonline.com.
- (c) After opening a Demat Account, the shareholder will have to surrender the Original Share Certificate(s) along with filled in and signed Demat Requisition Form (DRF) to his/her DP with whom he/she has opened his/her Demat Account.
- (d) The concerned DP will process the dematerialization request and after completion of verification of documents, number of shares as per the respective share certificate(s) gets credited in the Demat Account of the concerned shareholder.

17. SCRUTINIZERS FOR E-VOTING AT MEETING:

The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during AGM in a fair and transparent manner.

18. PROCESS AND MANNER OF E-VOTING:

The instructions for Shareholders for voting electronically are as under:-

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) – Agenda item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2022, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. Agenda item No. 2 : To declare dividend on Equity Shares of the Bank Agenda item No. 3: To raise equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP /FPO/Rights Issue or in combination thereof.	220519003
---	------------------

- (a) The voting rights of Shareholder(s) /Beneficial Owner(s) shall be reckoned on the equity shares held by him/her as on Wednesday, the 15th June 2022 (Cut off date fixed for the purpose).
- (b) The remote e-voting period will begin at **10.00 a.m. (IST) on Sunday, the 19th June 2022 and will end at 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, the 21st June 2022.** During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut off date i.e. 15th June 2022 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting remotely thereafter.
- (c) The e-voting facility will also be made available during AGM. However, the shareholders who had already cast their votes through remote e-voting will not be eligible to vote during the AGM.
- (d) SEBI vide their circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020 advised as under:
 - (i) under Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.
 - (ii) Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.
 - (iii) In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account

holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

- (e) Pursuant to aforesaid SEBI Circular No.SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding shares/ securities in Demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	(1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest is https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. (2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies/ Banks where the e-voting is in progress as per the information provided by company/Bank. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. (3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration (4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	(1) If user is already registered for NSDL IDeAS facility, he/she is required to visit the e-Services website of NSDL and Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. User will have to enter User ID and Password. After successful authentication, he/she will be able to see e-Voting services. User will be required to Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and he/she will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider name and he/she will be re-directed to e-Voting

	service provider website for casting his/her vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. (2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp (3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. User will have to enter his/her User ID (i.e. sixteen digit demat account number holding with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, user will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on company/Bank name or e-Voting service provider name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	User can also login using the login credentials of his/her demat account through his/her Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, he/she will be able to see e-voting option. Once the user click on e-voting option, user will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein he/she can see e-voting feature. Click on company/Bank name or e-voting service provider name and he/she will be redirected to e-voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: *Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.*

Helpdesk details for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free No.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

(f) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than individual shareholders holding shares in Demat form & physical form:

- The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- Click on “Shareholders” module.
- Now enter your User ID
 - o For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - o For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - o Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- Enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company/Bank, then your existing password is to be used.
- If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form other than individual
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <i>Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.</i>
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Company/Bank records in order to login. <i>If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the shareholder id / folio number in the Dividend Bank details field</i>

- After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company/ Bank selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is also to be used by the demat account holders for voting on resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- Click on the EVSN for the relevant <Company/Bank Name> on which you choose to vote.
- On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as

desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.

If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians – Remote e-Voting

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; investors@indianbank.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

19. VOTING AT /DURING THE AGM:

After discussion on the agenda items, the Bank will conduct voting in respect of the agenda items. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizer(s) appointed for the purpose. The shareholder(s)/ Authorized Representative(s) attending the meeting through VC/OAVM can exercise their votes through e-voting process during AGM. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process during the Meeting.

20. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR ATTENDING MEETING THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE AGM:-

- (a) The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- (b) The Shareholders can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation in the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
- (c) The link to attend meeting through VC/AOVM, will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- (d) Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote during AGM.
- (e) Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / iPads for better experience.
- (f) Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- (g) Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- (h) Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance **on or before 15th June 2022** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **on or before 15th June 2022** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
- (i) **Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.**
- (j) Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote on the Agenda items/Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
- (k) If any Votes are cast by the shareholders through e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

- (l) The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum.

Process for those shareholders whose E-mail Ids / Mobile No. are not registered in shareholder record of the bank / depositories:

- (a) For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA at email id murali@cameoindia.com.
- (b) For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. through your respective Depository Participant (DP)
- (c) For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. through your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meeting through Depository.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

21. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING E-AGM:

The Results of the voting during the meeting/at the meeting aggregated with the results of Remote E-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges, ie. NSE & BSE.

EXPLANATORY STATEMENT:

To raise equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights Issue or in combination thereof

- (a) In order to comply with the Basel III guidelines of RBI and to have a strong Capital Base so as to provide necessary capital support to fund business growth, the Bank is in continuous need of capital.
- (b) The present shareholding of the Government of India, the promoter of the Bank is 79.86% i.e. more than 75.00%. In terms of the provisions under Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 amended vide Govt. of India (GOI) Gazette Notification No. G.S.R. 738 (E) dated 03rd August 2018 and further amended vide GOI Gazette Notification No. G.S.R. 485 (E) dated 31st July 2020, the Bank is required to increase its public shareholding to atleast 25.00% within a period of three years from the date of such commencement, in the manner specified by SEBI.
- (c) The Govt. of India vide Gazette Notification No. G.S.R. 520(E) dated 30th July 2021 further amended provisions under Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 and in terms of the said amendment in SCRR, the Central Government may in public interest exempt any listed public sector company from any or all of the provisions of SCRR.
- (d) Subsequently, the Central Governments vide its letter Ref. No. F. No. 5/35/CM/2006Vol III dated 04.08.2021 conveyed SEBI that the Central Government has decided in the public interest that every listed public sector company, as defined in the SCRR, 1957, which has public shareholding below twenty five per cent and which could not increase its public shareholding to at least twenty five per cent within the timeline stipulated in Rule 19A of SCRR, 1957, **shall get exemption upto 01.08.2022** to increase its public shareholding to at least twenty five per cent.
- (e) The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 11th May, 2022 has approved for raising equity capital of the Bank aggregating upto Rs.4000 crore (including premium) through the different available options subject to approval of shareholders and other requisite Statutory/Regulatory approvals.
- (f) Accordingly, the Bank proposes to raise equity capital through QIP /FPO/Rights Issue to increase the public shareholding in the Bank. These options will be exercised by the Bank based on the prevailing market conditions.
- (g) The equity capital as aforesaid will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI ICDR Regulations and shall be in compliance with the other relevant guidelines /regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.
- (h) The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.
- (i) The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have

the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

- (j) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow on public issue, and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time
- (k) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
- (l) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.
- (m) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
- (n) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
- (o) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.
- (p) The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank.
- (q) For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.
- (r) The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.
- (s) None of the Directors or the Key Managerial Personnel or their relatives are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 3 of the accompanying Notice.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : 24th May 2022

Sd/-
(S.L. Jain)
Managing Director & CEO